

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा)



एफ 1(23) ग्रावि/नरेगा/मेट/2011-12

जयपुर दिनांक: 7 FEB 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत मेट की
शैक्षणिक योग्यता में संशोधन बाबत।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 15.06.2009 एवं 02.09.2009
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट नियोजित करने के लिए उक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (पुरुष 10वीं पास, एससी/एसटी संवर्ग में 8वीं पास व 5वीं पास महिला) वाले अभ्यर्थी कुछ ग्रा.पं. में उपलब्ध नहीं होने पर पखवाड़े में कुछ विशेष व्यक्ति ही पुनः मेट के रूप में आ जाते हैं एवं इस कारण मेट के लिए शैक्षणिक योग्यता संशोधन चाहा है।

अतः उक्त संदर्भित पत्रों में पुरुष मेट के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को 8वीं पास किया जाता है। 8वीं पास पुरुष अभ्यर्थियों को मेट के पैनल में शामिल किया जा सकेगा। चयनित मेट को गहन प्रशिक्षण दिया जा जाकर प्रशिक्षण उपरान्त मेट के रूप में व्यक्तियों की परीक्षा ली जावे। अन्य शर्तें संदर्भित पत्रों के अनुसार रहेगी।

भवदीय

(खजान सिंह)

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:-

1. एडीपीसी, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त।
3. कार्यक्रम अधिकारी, पं.स. समस्त (केवल ई-मेल)।
4. एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को वेब साईट पर अपलोड करने एवं मेल करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस